निदेशालय कोषागार, पेंशन एवं हकदारी उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड शासन

सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अधीन प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित सूचना

मैनुअल–3

23-लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून

विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित हैं

प्रत्येक विभाग के मुख्यालय का अपना अलग दायित्व होता है, जिसका निर्वहन संविधान के अन्तर्गत विधान मण्डल द्वारा पारित अधिनियमों तथा संकल्पों के अधीन शासन के कार्यकारी आदेशों के द्वारा व कुछ मामलों में परम्परागत निर्धारित प्रक्रियाओं के अधीन निर्णय लेकर किया जाता है। निर्णय करने की यही प्रक्रिया निदेशालय कोषागार पेंशन एवं हकदारी में भी अपनायी जा रही है। निदेशालय में कार्यरत समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियें के मध्य निदेशालय से व्यवहरित होने वाले समस्त कार्यो का आवंटन किया गया है। सौपें गये कार्य एवं दायित्व को सम्बन्धित कर्मचारी एवं अधिकारी द्वारा स्थापित प्रक्रिया, नियमों एवं सुसंगत शासनादेशों के अधीन सम्पादित किया जाना अपेक्षित होता है।

आमतौर पर मुख्यालय में प्राप्त होने वाले सभी पत्रों को डाक डायरी/डाक निस्तारण पटल में तैनात कर्मचारी के द्वारा खोला जाता है (निदेशक के नाम से एवं गोपनीय पत्रों को छोडकर) तथा सभी पत्रों को निदेशालय के अपर निदेशक के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। सामान्य प्रकृति के पत्रों को मुख्यालय के अपर निदेशक के द्वारा सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी के नाम से मार्ग करके साधारण तथा सम्बन्धियों को उपलब्ध कराने हेतु डाक डायरी वाले कर्मचारी को वापस भेज दिया जाता है और जो पत्र महत्वपूर्ण प्रकृति के होते हैं उन्हें सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी के नाम से मार्क करके निदेशक के अवलोकनार्थ रखा जाता है। निदेशक द्वारा ऐसे पत्रों का अवलोकन करके पत्रों पर कार्यवाही किये जाने के लिये निर्देश अंकित करते हुए सम्बन्धितों को उपलब्ध कराने हेतु डाक डायरी वाले कर्मचारी को वापस भेज दिया जाता है।

निदेशक के नाम के पत्र एवं गोपनीय पत्रों को निदेशक द्वारा स्वंय खोल कर उस पर आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देश अंकित करके सम्बन्धित अधिकारी को उपलब्ध कराने हेतु डाक डायरी वाले कर्मचारी को भेज दिया जाता है। डाक डायरी वाला कर्मचारी समस्त पत्रों को पंजिका में अंकित करके क्रमांक नम्बर एवं दिनांक डालकर इसे उन सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को उपलब्ध करा देता है जिनके स्तर से इन पत्रों पर प्रारम्भिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित होती है। वर्तमान में पत्रों की हार्ड कॉपी के साथ साथ ई-ऑफिस के माध्यम से पत्रों के निस्तारण हेतु ऑनलाइन व्यवस्था का अनुपालन भी किया जा रहा है।

उपरोक्त प्रक्रिया के अनुसार ऐसे विचाराधीन पत्र कार्यालय में तैनात कर्मचारियों के मध्य सौंपे गये कार्य एवं दायित्व के क्रम में प्राप्त होने पर कार्यालय के कर्मचारियों का उत्तरदायित्व है कि उन्हें जो कार्य एवं दायित्व सौंपे गये है, उसके अधीन ऐसे विचाराधीन पत्रों के प्राप्त होते ही तत्काल इस पर कार्यवाही करते हुए पत्र का परीक्षण करके सम्बन्धित पत्रावली में अपनी टिप्पणी में उन सभी तथ्यों और नियमों आदि का उल्लेख करते हुए, जो विचाराधीन पत्र के विषय से सुसंगत हो पत्रावलियॉ अपने पर्यवेक्षक को प्रस्तुत करे। पर्यवेक्षक द्वारा कार्यालय से प्रस्तुत होने वाली समस्त पत्रावलियों में विचाराधीन पत्र के विषय से सम्बन्धित समस्त तथ्यों एवं नियमों जो कार्यालय द्वारा पत्रावली की टिप्पणी में प्रस्तुत किया गया है, का परीक्षण स्थापित प्रक्रिया, नियमों एवं सुसंगत शासनादेशों के क्रम में किया जाता है। इस प्रक्रिया के तहत पत्रावलियों में रखे विचाराधीन पत्र के सम्बन्ध में कार्यालय से प्रस्तुत टिप्पणी पर पर्यवेक्षक के सहमत होने पर पत्रावली अपर निदेशक को अवलोकनार्थ भेजी जाती है। अपर निदेशक पत्रावली में प्रस्तुत टीप का गहन परीक्षण करके विषय

वस्तु की वास्तविक स्थिति का परीक्षण करके उचित निर्णय एवं अभिमत अंकित करके अनुमोदन हेतु निदेशक के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। अपर निदेशक का उत्तरदायित्व है कि उन्हें प्रस्तुत होने वाली पत्रावलियों में रखे विचाराधीन पत्र पर कार्यालय एवं सम्बन्धित पर्यवेक्षक द्वारा प्रस्तुत आख्या/अभिमत पर अपना स्पष्ट निर्णय/अभिमत जो नियमों, शासनादेशों अधिनियमों, मैनुअलों एवं सुसंगत तथ्यों पर आधारित हो, अंकित करते हुए अंतिम निर्णय हेतु पत्रावली निदेशक को प्रस्तुत करें। निदेशक विचाराधीन पत्र के क्रम में इस प्रक्रिया के अन्तर्गत प्रस्तुत होने वाली पत्रावलियों पर अपर निदेशक द्वारा अंकित निर्णय/अभिमत को अधिनियमों, नियमों, शासनादेशों, शासन के कार्यकारी आदेशों एवं स्थापित प्रक्रिया में उसे निहित शाक्ति एवं दायित्वों के मानक पर परखते हुए अपना निर्णय अंकित करते है।

संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि यघपि अधिकांश मामलों में अंतिम निर्णय निदेशक द्वारा लिया जाता है, निर्णय लेने में उनकी सहायता निदेशालय के सभी अधिकारी एवं कर्मचारी करते हैं तथा इस प्रकार निर्णय लेने की प्रक्रिया में सभी की भागीदारी रहती है। जिन मामलों में निर्णय लेने का अधिकार निदेशक को प्रतिनिहित नहीं है उन्हें अपनी संस्तुति सहित निदेशक द्वारा शासन को संदर्भित किया जाता है।

कोषागारों में प्रस्तुत किये जाने वाले बिलों की प्राप्ति एवं भुगतान की प्रक्रिया-

शासनादेश संख्या 3/XXVII(6)/2013 दिनांक 02 जनवरी, 2013 के अनुसार वर्तमान में आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा आई0एफ0एम0एस0 प्रणाली के माध्यम से कोषागार में देयक ऑनलाइन प्रस्तुत किये जा रहे है। कोषागारों में प्रस्तुत किए जाने वाले देयक ऑनलाईन तैयार किए जाते हैं तथा आहरण वितरण अधिकारी के स्तर से ई साईन उपरांत कोषागार में ऑनलाईन प्रदर्शित होते हैं, जिनका निस्तारण कोषागार स्तर से ऑनलाईन ही किया जाता है। देयकों को नियमानुसार पारण उपरांत भुगतान की प्रक्रिया भी पूर्णत: ऑनलाइन है। पूर्व में कोषागारों में लागू चैक प्रणाली के स्थान पर धनराशि का भुगतान ऑनलाइन ही सम्बन्धित लाभार्थी के बैंक खाते में प्रेषित किया जाता है। वर्तमान में कोषागार में देयक प्रस्तुत करने एवं महालेखाकार को लेखा प्रेषित करने की प्रक्रिया पूर्णत पेपरलेस किए जाने की प्रक्रिया लागू की जा चुकी है।

पेंशन (OPS)

सरकारी सेवक कब तक सरकारी कार्यों में संलग्न रहेंगे, इसके लिये सरकार द्वारा सरकारी सेवक के सेवा में संलग्न रहने की आयु नियत की जाती है। वर्तमान में सरकार द्वारा यह आयु 60 वर्ष नियत की हुयी है। नियत आयु पूर्ण करने की तिथि को सरकारी सेवक सेवा से निवृत्त हो जाते हैं। सरकारी सेवक का शेष जीवन व्यतीत करने हेतु समाज में रहना पड़ता है। सेवानिवृत्त सरकारी सेवक अपनी शारीरिक अक्षमता के कारण कार्य न करने की स्थिति में अपने सामाजिक दायित्वों निर्वहन कैसे करें और सामाजिक दायित्वों के निर्वहन एवं स्वंय की सामाजिक सुरक्षा के लिये आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे करे इसके लिये सरकार ने समाजिक न्याय एवं प्राकृतिक न्याय की दृष्टि से सरकारी सेवक भूतकालीन संतोषजनक सेवा पूर्ण करके सेवानिवृत्त होने पर उसे उसके द्वारा धारित पद तथा आहरित वेतन के अनुसार कुछ धनराशि मासिक रूप से पेंशन के रूप में तथा सेवानिवृत्त के समय ग्रेज्युटी तथा राशिकरण के रूप में एकमुश्त धनराशि भुगतान करने की व्यवस्था की है। सरकारी सेवक के नियत आयु पूर्ण करने पर अथवा सेवा में रहते हुए मृत्यु की दशा में सरकारी सेवक के परिवार को भी सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु यह पूर्ववर्ती उत्तरप्रदेश राज्य सरकार द्वारा 1 अप्रैल, 1961 पेंशन लाभ योजना लागू की गयी और बाद में समय-समय पर विभिन्न शासनादेशों एवं

अधिसूचनाओं के द्वारा नियम एवं सरल प्रक्रियाओ को अपनाया गया। राज्य के समस्त सरकारी सेवकों को सरकार की नीति के अनरूप पेंशन, ग्रेज्युटी तथा राशिकरण की धनराशि आगणन करने हेतु नियत नियम एवं प्रक्रिया का भी पूर्णत: पालन करना एक विशिष्ट कर्त्तव्य है, जो इस कार्यालय के द्वारा किया जा रहा है।

पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश में पेंशन स्वीकृत करने के लिए अलग-अलग प्राधिकारी थे। उत्तरांचल के शासनादेश 1629/वि०सं०वि०/2002 19 मार्च, 2001, द्वारा उत्तरांचल स्थित परिषदीय/अशासकीय विद्यालयों/विश्वविद्यालयों के पेंशनरों की, शासनादेश संख्या 184/वि0अनु0-4/2001 दिनांक 28 दिसंबर, 2001, द्वारा वृद्धावस्था स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तथा अन्य विशिष्टि पेंशनरों की स्वीकृतियों को छोडकर समस्त सरकारी एवं सहायता प्राप्त अशासकीय शिक्षण संस्थाओं-बेसिक, माध्यमिक, उच्च शिक्षा एवं तकनीकि शिक्षा के पेंशनरों की, शासनादेश संख्या 449/04/ 2482/नौ-3-30/पेंशन/02 दिनांक 9 मार्च, 2004 द्वारा उत्तरांचल पावर कार्पोरेशन लिमिटेड तथा जल विद्युत निगम लिमिटेड के पेंशनरों की एवं शासनादेश संख्या 372/ व्य०पत्रा0/30खा०ग्रा०बो0/ 2004-05 दिनांक 21 अप्रैल, 2004 द्वारा उत्तरांचल खाद्यी ग्रामोद्योग के पेंशनरों की स्वीकृत के लिये जिन प्रकरणों में पेंशन का भुगतान कोषागार के माध्यम से किया जायेगा, उससे संबंधित पेंशन भुगतानादेश निदेशक, लेखा एवं हकदारी अथवा उनके कार्यालय द्वारा निर्गत की गयी थी। वर्ग "घ" कर्मचारियों के पेंशन स्वीकृत का आधिकार कार्यालय अध्यक्ष को प्राविधानित किया गया था।

वर्तमान में राजकीय कार्मिकों के पेंशन प्राधिकार पत्र तैयार किए जाने हेतु शासनादेश संख्या 91/XXVII(6)2014 दिनांक 17 अप्रैल, 2015 के माध्यम से ई पेंशन की प्रक्रिया लागू है। इसके अंतर्गत समूह 'ग' तथा 'घ' के कार्मिकों के पेंशन प्रकरण संबंधित कोषागार में तैयार किए जाते हैं। समूह 'क' एवं 'ख' के कार्मिकों के प्रकरण हेतु मण्डलवार निदेशालय कोषागार में गढवाल मण्डल, एवं शिविर कार्यालय हल्द्वानी में कुमायूं मण्डल के पेंशन प्राधिकार पत्र तैयार किए जाते हैं। कतिपय निगमों के समस्त कार्मिकों के पेंशन प्रकरण निदेशालय कोषागार देहरादून द्वारा राज्य के कोषागारों से भुगतान हेतु निर्गत किये जाते हैं। संपूर्ण व्यवस्था पूर्णत: ऑनलाईन है।

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली-

1- पृष्ठभूमि- राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS), जिसको पूर्व में नवीन पेंशन योजना (NPS) अथवा अंशदायी पेंशन योजना के नाम से भी जाना गया गया है, एक पेंशन सह निवेश योजना है जिसे भारत सरकार द्वारा पहले नव नियुक्त राजकीय कार्मिकों तथा कालान्तर में भारत के नागरिकों को सेवानिवृत्ति के उपरान्त या वृद्धावस्था सुरक्षा प्रदान करने के लिए शुरू किया गया। यह योजना सुरक्षित और विनियमित बाजार आधारित रिटर्न के जरिये प्रभावशाली रूप से सेवानिवृत्ति की योजना बनाने हेतु एक आकर्शक दीर्घकालिक बचत मार्ग से प्रारम्भ होती है। इस योजना का विनियमन भारत सरकार द्वारा नियुक्त पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पी.एफ.आर.डी.ए.) द्वारा किया जाता है। प्रोटियन पी.एफ.आर.डी.ए. द्वारा स्थापित राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास (एन.पी.एस.ट्रस्ट) राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अन्तर्गत सभी आस्तियों का पंजीकृत मालिक है। केन्द्र सरकार द्वारा दिनांक 23 अगस्त 2003 को पूर्व में प्रचलित परिभाषित लाभ पेंशन योजना की मौजूदा प्रणाली को हटाते हुए प्रथम चरण में केन्द्र सरकार सेवा में नए प्रवेशकर्ताओं जिनमें सशस्त्र बलों को छोड़कर एक नई पुनर्संरचित परिभाषित अंशदान पेंशन प्रणाली को शुरू करने सम्बन्धी वर्ष 2003-2004 की बजट घोषणा को क्रियान्वित करने का प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

नई प्रणाली सभी व्यक्तियों जिनमें स्व-राजगार वाले व्यवसायिकों तथा असंगठित क्षेत्र के व्यक्ति भी शामिल हैं के लिए स्वैछिक आधार पर उपलब्ध कराने का प्रावधान रखा गया तथापि भविष्य निधि संगठन (ई.पी.एफ.ओ.) तथा अन्य विशेष भविष्य निधियों के अधीन अनिवार्य प्रविधान कर्मचारी भविष्य निधि तथा विविध उपबंध अधिनियम 1952 तथा इन निधियों को शासित करने वाले अन्य विशेष अधिनियमों के अधीन मौजूदा प्रणाली के अधीन कार्य करते रहने का निर्णय लिया गया। पेंशन बाजार के प्रभावी संवर्धन तथा क्रमिक वृद्धि विनियमन सुव्यवस्थित सम्बृद्धि से जुडे सभी मामलों सम्बन्धी कार्यवाही के प्रयोजनार्थ भारत सरकार द्वारा वित्त मंत्रालय भारत सरकार से प्रकाशित “भारत का राजपत्र“ दिनांक 10 अक्टूबर 2003 द्वारा वित्त मंत्रालय के सम्पूर्ण नियंत्रण के अधीन अंतरिम पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पी.एफ.आर.डी.ए.) का गठन किया गया।

योजना के अन्तर्गत पेंशन फण्ड की स्थापना विकास और विनियम करके सेवानिवृत्ति के उपरान्त वृद्धावस्था आय सुरक्षा को बढ़ावा देने, पेंशन फण्ड की योजनाओं के लिए ग्राहकों की हितों की रक्षा करने और उनके साथ जुडे मामलों या आकस्मिक उपचार के लिए भारत सरकार द्वारा पेंषन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पी. एफ.आर.डी.ए.) अधिनियम 2013 लागू किया गया। पेंशन सम्बन्धी सुधारों की पहल के रूप में भारत सरकार ने अधिसूचना दिनांक 22 दिसम्बर 2003 के द्वारा ‘परिभाषित लाभ पेंशन प्रणाली‘ के स्थान पर ‘नवपरिभाषित अंशदायी पेंशन प्रणाली‘ को दिनांक 01 जनवरी 2004 से अपनी नयी भर्तियों (सशस्त्र बलों को छोड़कर) के लिए अनिवार्य रूप से लागू किया गया।

एन0पी0एस0 में सरकारी कर्मचारी पेंशन के लिए अपने मासिक वेतन से नियोक्ता के साथ निर्धारित अनुपात में धनराशि का अंशदान करता है। तत्पश्चात् अंशदान को पेंशन निधि प्रबंधकों के माध्यम से निर्धारित निवेश योजनाओं में निवेश किया जाता है।

2- उत्तराखण्ड राज्य में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) को लागू किया जाना:-

उत्तराखण्ड सरकार ने अपने दीर्घकालीन राजकोषीय हितों और केन्द्र सरकार द्वारा अपनायी गयी रीति के विस्तृत अनुसरण को दृश्टिगत रखते हुए अधिसूचना संख्या - 21/XXVII(7)/अं0पें0यो0/2005, दिनांक 25 अक्टूबर, 2005 के द्वारा दिनांक 01 अक्टूबर, 2005 को एवं इसके बाद राज्य सरकार की सेवा में और ऐसे समस्त शासन के नियंत्रणाधीन स्वायत्तशासी संस्थाओं और शासन से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में जिनमें राज्य कर्मचारियो की वर्तमान पेंशन योजना की भांति पेंशन योजना लागू है और उनका वित्त पोषण राज्य सरकार की समेकित निधि से किया जाता है नये प्रवेशकों पर वर्तमान में परिभाषित “लाभ पेंशन योजना“ के स्थान पर नव परिभाषित “अंशदान पेंशन योजना“ लागू करने का निर्णय लिया गया। अधिसूचना में उक्त योजना की संरचना सम्बन्धी महत्वपूर्ण बिन्दु निम्नवत् निर्धारित किये गयेः-

1- राज्य सरकारी सेवा में और ऊपर उल्लिखित शासन के नियंत्रणाधीन स्वायत्तशासी संस्थाओं और शासन से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में समस्त नई नियुक्तियों पर दिनांक 01 अक्टूबर 2005 को अथवा इसके बाद नियुक्त सभी कार्मिकों पर नई परिभाशित अंशदायी पेंशन योजना अनिवार्य रूप से लागू होगी। तथापि वर्तमान पेंशन योजना से आच्छादित ऐसे कर्मचारी जिनकी सेवाऐं 01 अक्टूबर 2005 को 10 वर्ष से कम की हो भी वर्तमान पेंशन योजना के स्थान पर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का विकल्प दे सकते हैं।

2- नई परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना के अन्तर्गत अभिदाता द्वारा मूल वेतन महंगाई वेतन एवं महंगाई भत्ते के 10 प्रतिशत के समतुल्य धनराशि का मासिक अभिदान किया जायेगा। इसी के समतुल्य धनराशि का

अभिदान सेवायोजक / नियोक्ता द्वारा किया जायेगा। इस प्रकार अंशदान तथा निवेश से होने वाली आय को एक खाते में जमा किया जायेगा, जो पेंशन टियर-1 होगा। सेवा अवधि में पेंशन टियर-1 खाते से सेवाकाल में किसी भी आहरण की अनुमति नहीं दी जायेगी।

3- नये प्रवेशकों जो नई पेंशन योजना से आच्छादित होगें उन्हें पूर्व में परिभाषित पेंशन सह सामान्य भविष्य निधि योजना के उपबन्धों के लाभ प्राप्त नहीं होंगे।

4- चूंकि नवनियुक्त कार्मिकों को सामान्य भविष्य निधि योजना का लाभ प्राप्त नही है वे पेंशन टियर-1 खाते के अतिरिक्त एक स्वैच्छिक पेंशन टियर-2 खाता भी रख सकते हैं। परन्तु सेवायोजक/नियोक्ता टियर-2 खाते में कोई अभिदान नहीं करेगा। टियर-2 खाते में आस्थियों कानिवेष/प्रबंधन उसी प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा जो टियर-1 खाते के लिए होगी। तथा कर्मचारी अपने टियर-2 खाते के धन के सम्पूर्ण अंश अथवा उसके किसी भाग को किसी भी समय निकालने के लिए स्वतंत्र होगा।

5- कोई सरकारी कर्मचारी सेवानिवृत्ति के समय पेंशन प्रणाली के टीयर-1 को सामान्यतया छोड़ सकेगा। ऐसा करते समय कर्मचारी से अनिवार्य रूप से यह अपेक्षा की जायेगी कि, वह नियुक्त बीमा कम्पनीयों से अपनी कुल पेंशन सम्पत्ति का कम से कम 40 प्रतिशत वार्षिकी (Annuity) क्रय करें, जिससे कि सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारी को जीवनकाल के लिए तथा मृत्यु के उपरान्त उसके पत्नी/पति अथवा अश्रित माता/पिता के लिए पेंशन की व्यवस्था कर सके। शेष पेंशन सम्पत्ति कर्मचारी द्वारा एकमुश्त रूप से प्राप्त कर ली जायेगी जिसे वह किसी भी रूप से उपभोग करने के लिए स्वतंत्र होगा।

6- कर्मचारी द्वारा अधिवर्षता आयु पर सेवानिवृत्ति से पूर्व ही पेंशन टियर -1 योजना छोड़ने की दशा में अनिवार्य वार्षिकीकरण कुल पेंशन सम्पत्ति का 80 प्रतिशत होगा।

7- योजना में आस्तियों के निवेश हेतु ऐसे अनेक पेंशन निधि प्रबन्धक होंगे जो मुख्य रूप से तीन श्रेणियों के निवेषपरक विकल्प प्रस्तावित करेंगे। पेंषन निधि प्रबन्धक तथा अभिलेखपाल संयुक्त रूप से अपने विगत कार्य-कलाप के बारे में आसानी से समझी जाने वाली सूचना देगें जिससे कि कर्मचारी निवेषात्मक विकल्पों में से सूचित विकल्पों को चुन सकें।

8- उपरोक्तानुसार अधिसूचना संख्या 19/XXVII(7)/अं०पें०यो०/2005, दिनांक 25 अक्टूबर, 2005 द्वारा उत्तर प्रदेश रिटायरमेंट बैंनिफिट्स (उत्तराखण्ड) रूल्स 1961 व अधिसूचना संख्या 20/XXVII(7)/अं०पें०यो०/2005, दिनांक 25 अक्टूबर, 2005 द्वारा सामान्य भविष्य निधि (उत्तर प्रदेश) नियमावली 1985 के सुसंगत प्रावधानों को इस क्रम में संषोधित किया गया।

9- भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय अभिलेखपाल तथा पेंशन निधि प्रबन्धक की नियुक्ति से पूर्व इस प्रकार के लेखों का रख-रखाव निदेशालय लेखा एवं हकदारी उत्तराखण्ड द्वारा किया जायेगा तथा पेंशन निधि प्रबंधक के कार्य संचालन से पूर्व इस प्रकार की निधि पर सामान्य भविष्य निधि पर ब्याज दर अनुमन्य होगी जिसका भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।

10- पेंशन निधि में कर्मचारी के अंश तथा अधिकारी/कर्मचारी के वेतन महंगाई वेतन एवं मंहगाई भत्ते की धनराशि के योग की 10 प्रतिशत अंश की सकल धनराशि कोषागार द्वारा मुख्य लेखाशीर्षक 8011-106-05-मानक मद 33-पेंशन में जमा किया जायेगा। निदेशक लेखा एवं हकदारी उत्तराखण्ड उक्त जमा धनराशि के आहरण वितरण हेतु सक्षम प्राधिकारी होंगे और भारत सरकार द्वारा पेंशन निधि प्रबंधक नियुक्त किये जाने के बाद उनके द्वारा स्थापित नियमों एवं प्रक्रियाओं के अधीन धनराशि पेंशन निधि प्रबंधक को भेजी जायेगी।

निदेशक द्वारा पेंशन निधि से सम्बन्धी वांछित सूचना/विवरण पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण, केन्द्रीय अभिलेखपाल, राज्य सरकार तथा अन्य सुसंगत स्तरों को उपलब्ध कराया जायेगा।

वर्तमान में राज्य सरकार ने अपने दीर्घकालीन राजकोषीय हितों और केन्द्र सरकार द्वारा अपनायी गई नीति के अनुसरण को दृष्टिगत रखते हुए, राज्य सरकार की सेवा में और ऐसे समस्त शासन के नियंत्रणाधीन स्वायत्तशासी संस्थाओं और शासन से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में, जिनमें राज्य कर्मचारियों की वर्तमान पेंशन योजना की भाँति पेंशन योजना लागू है और उनका वित्त पोषण राज्य सरकार की समेकित निधि से किया जाता है, में 01 अक्टूबर, 2005 से नियुक्ति होने वाले सरकारी सेवकों के लिये वर्तमान में परिभाषित "लाभ पेंशन योजना" के स्थान पर नव परिभाषित "अशंदान पेंशन योजना" अधिसूचना संख्या 21/XXVII(7)अ०पे0यो0/2005, दिनांक 25 अक्टूबर, 2005 द्वारा लागू किया है। इसमें यह व्यवस्था भी की है कि ऐसे सरकारी सेवक जिन्होंने 01 अक्टूबर, 2005 को 10 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, वे भी इस योजना में सम्मिलित होने का विकल्प दे सकते हैं। इस योजना के तहत नवप्रवेशी सेवक को अपने मूल वेतन, महँगाई वेतन तथा मंहगाई भत्ते का 10 प्रतिशत धनराशि का अंशदान प्रत्येक माह स्वंय करना होगा तथा वर्तमान में 14 प्रतिशत अंशदान सेवायोजक करेगा इसे टियर-1 खाते में जमा किया जायेगा।

कोई सरकारी सेवक इस प्रणाली के तहत सेवानिवृत्त के समय के एक माह पूर्व टियर-1 में सामान्यता धनराशि जमा करना बन्द कर देगा और अनिवार्य रूप से टियर-1 में जमा धनराशि का 40 प्रतिशत धनराशि किसी मान्यता प्राप्त बीमा कम्पनी से एक वर्ष की 6 वार्षिकी का क्रय करके जमा करेगा ताकि शेष जीवन काल के लिये तथा अपने आश्रितों के सामाजिक दायित्वों की पूर्ति के लिये पेंशन की व्यवस्था कर सकेगा। शेष धनराशि सेवानिवृत्त सरकारी सेवक एक मुश्त प्राप्त करेगा ।

उक्त विशिष्टि एवं नवीन प्रकृति की योजना को राज्य में सफलतापूर्वक लागू करने एवं भारत सरकार द्वारा पेंशन निधि प्रबन्धक नियुक्ति होने तक शासनादेश में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार समस्त कार्यवाही इस संगठन के द्वारा, संगठन के लिये कोई नये पद सृजित किये बगैर क्रियानिवित किये जाने का विशिष्टि कर्त्तव्य है।

वर्तमान में नवीन पेंशन योजना की निधियों का संचालन प्रोटियन (एन0एस0डी0एल0) द्वारा किया जा रहा है। प्रोटियन द्वारा सरकारी सेवकों की एनपीएस कटौतियों तथा सरकार के अनुदानों की निधि का प्रबंध किया जाता है। सरकारी सेवकों की सेवारत मृत्यु की दशा में पारिवारिक पेंशन हेतु पुरानी पेंशन प्रणाली वर्तमान में लागू है।

सामूहिक बीमा-

केन्द्रीय सामूहिक बीमा योजना, 1980-

भारत सरकार द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों पर दिनांक 01 जनवरी 1982 से यह योजना लागू की गई। योजना के आरम्भ में अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों से रूपये 80/- प्रतिमाह की दर से उनके वेतन से दिनांक 01-01-82 से 31-12-90 तक सामूहिक बीमा की कटौती की जाती रही, दिनांक 01-01-1990 से शासन द्वारा उनके अभिदान में रू40 की बढोत्तरी कर रू120 प्रतिमाह की दर से कटौती की जा रही है। इस बीमा योजना से सम्बन्धित प्राप्तियां उनके मासिक वेतन बिलों से सम्बन्धित कोषागारों द्वारा काटी जाती हैं और कटौती की धनराशि लेखाशीर्षक- 8658 उचन्त खाता- 123- ए0आई0एस0 अधिकारी समूह

बीमा योजना के अन्तर्गत वर्गीकृत की जाती है। कोषागार अधिकारी प्रत्येक माह इन कटौतियों की सूचना निदेशक, कोषागार पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड (नामित अधिकारी केन्द्रीय सामूहिक बीमा योजना) जिसे शासन ने इस हेतु आहरण वितरण अधिकारी भी नामित किया है, को नियमित रूप से उपलब्ध कराते रहे। निदेशालय द्वारा अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों की इस योजना में जमा प्रति माह की धनराशि का विवरण प्रदेश के समस्त कोषागारों से प्राप्त करके संवर्गवार संकलित धनराशि का देयक तैयार करके साइबर कोषागार देहरादून से उक्त धनराशि को आहरित करने के पश्चात आहरित धनराशि कार्मिक लोक शिकायत पेंशन मंत्रालय, नई दिल्ली, वेतन एवं लेखा कार्यालय, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली एवं पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली को (प्रत्येक संवर्ग आई0ए0ए0, आई०पी०एस० एवं आई, एफ०एस०) नियमित रूप से बैंक ड्राफ्ट के रूप में प्रेषित की जाती है।

ऐसे अधिकारी जो वाहय सेवा पर प्रतिनियुक्ति पर हैं, उनके सम्बन्ध में मासिक कटौती की धनराशि भी उपरोक्तानुसार नामित अधिकारी द्वारा भारत सरकार को नियमित रूप से भेजी जाती है और वाहय सेवा में नियुक्त अधिकारियों में नियुक्त अधिकारी/उनके कार्यालयों का यह उत्तरदायित्व है कि वह अपनी किश्त की धनराशि बैंक ड्राफ्ट द्वारा मनोनीत आहरण वितरण अधिकारियों को नियमित रूप से भेजते रहें। भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय सामूहिक बीमा योजनान्तर्गत दावों का भुगतान किये जाने की जो प्रक्रिया निर्धारित हुई है उसके अनुसार प्रत्येक दावेदार भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र-III पर अपना दावा प्रस्तुत करते हैं, जो मनोनीत आहरण वितरण अधिकारी के माध्यम से भारत सरकार को भेजा जाता है। आहरण अधिकारी (निदेशक कोषागार पेंशन एवं हकदारी) उसमें समुचित प्रविष्टियां करके ही भारत सरकार को भेजते हैं। भारत सरकार द्वारा जो चैक भेजा जाता है वह संबंधित व्यक्ति के नाम से होता है और नामित अधिकारी के माध्यम से ही भुगतान के लिये उपलब्ध कराया जाता है।

उत्तराखण्ड राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा एवं बचत योजना-

उत्तराखण्ड राज्य सरकार के द्वारा सरकारी सेवकों को सेवानिवृत्त के पश्चात समाजिक सुरक्षा प्रदान करने की दृष्टि से अन्य बीमा कम्पनियों की भाँति सरकारी सेवकों से अल्प निवेश कराकर सकुशल सेवानिवृत्त होने पर इस योजना के अधीन बचत निधि में जमा की गयी धनराशि पर व्याज आगणित करके सेवानिवृत्त के समय उसे भुगतान करके सेवानिवृत्त सरकारी सेवक को अतिरिक्त लाभ प्रदान करने अथवा सेवा काल में ही मृत्यु हो जाने पर उसके आश्रितो की सामाजिक सुरक्षा हेतु अतीरिक्त वित्तीय लाभ प्रदान करने हेतु इस योजना को पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा "उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना निधि नियमावली, 1980" के अनुक्रम में उत्तरांचल राज्य ने कार्यालय ज्ञाप संख्या 41/वि0अन0-4/2004, दिनांक 06 फरवरी, 2004 को अधिसूचना निर्गत करके इसे राज्य में पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश राज्य की भाँति लागू किया गया है। सर्वप्रथम इस योजना का संचालन भारतीय जीवन बीमा, कानपुर द्वारा किया गया परन्तु शासनादेश संख्या बीमा / 1- दस 80-2- दिनांक 19 फरवरी 1980 से शासन ने इस योजना का संचालन अपने हाथों में ले लिया। इस योजना की विशिष्टताएं एवं इसके क्रियान्वयन हेतु कर्तव्य निम्नवत हैं-

(क) उतरांचल राज्य के गठन से पूर्व उ0प्र0 शासन द्वारा प्रदेश के सरकारी सेवकों के परिवारों के कल्याणार्थ तथा उनके भविष्य की आर्थिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने के उदेश्य से 'उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा एवं बचत योजना' लागू की गई थी, यह योजना प्रारम्भ में दिनांक 74-03-01 से केवल पुलिस विभाग के अराजपत्रित कर्मचारियों पर ही लागू की गई थी। किन्तु इस योजना के लाभों को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 1976-03-01 से शासनादेश संख्या सामान्य / 3832- दस 76/14- दिनांक

24 मई 1976, द्वारा प्रदेश के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर लागू की गई। वर्तमान में शासनादेश सं0 37/XXVII(7)सा0बी0यो0/2009, दिनांक 13 फरवरी 2009 द्वारा निर्धारित दरों पर कार्मिकों के वेतन से सामूहिक बीमा योजना की कटौतियां एवं भुगतान किये जा रहे हैं। उक्त शासनादेश के अनुसार वर्तमान में लागू सामूहिक बीमा योजना की मासिक कटौती की दरों का विवरण निम्नवत है-

क्रमांक	पुनरीक्षित वेतन संरचना में अनुमन्य ग्रेड वेतन	मासिक अभिदान की दर	बीमा निधि	बचत निधि	बीमा आच्छादन की धनराशि
1	रू 2800 तक	100	30	70	1,00,000
2	रू 2801 से रू 5400	200	60	140	2,00,000
3	रू 5401 से अधिक	400	120	280	4,00,000

(ख) इस योजना से वे समस्त कर्मचारी आच्छादित होते हैं जो राज्य सरकार के अधीन विभिन्न अधिष्ठान की स्थायी एवं अस्थायी रूप से पूर्णकालिक सेवा में नियुक्त हों। मा० न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश / न्यायाधीशों, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों पर भी यह योजना लागू हैं, बशर्ते उन्होनें इस योजना का लाभ लेने के उदेश्य से सेवा में नियुक्ति के समय अपना विकल्प चुना हो। राज्य सरकार सेवा के अधीन सिविल पदों पर नियुक्त ऐसे सैन्य सेवा से अवकाश प्राप्त अधिकारियों/सैनिकों पर भी यह योजना लागू की गई है, बशर्ते सेवा के नियुक्ति के समय उनकी आयु 50 वर्ष से कम हो। अखिल भारतीय सेवाओं के ऐसे अधिकारी जो केन्द्रीय समूह बीमा योजना के लिए अपना विकल्प नहीं देते हैं, पर भी यह योजना लागू है।

(ग) यह योजना ऐसे सरकारी सेवकों पर लागू नहीं है जिन्हें राज्य सरकार द्वारा अल्पकालीन रिक्तियों में सीजनल कार्य के लिए अथवा संविदा के आधार पर नियुक्त किया जाता है। यह योजना अधिकारी/कर्मचारी की अधिवर्षता आयु तक अनिवार्य रूप से लागू है किन्तु अधिवर्षता आयू पूर्ण होने से पूर्व सेवारत अवस्था में मृत्यु हो जाने पर अथवा अधिकारी/कर्मचारी की सेवायें समाप्त कर देने पर अथवा अधिकारी/कर्मचारी द्वारा स्वयं सेवा से अन्यथा पृथक हो जाने पर यह योजना उसी तिथि तक जब तक वह सेवा में रहता है, लागू है। यह योजना अधिवर्षता आयु पूर्ण करने के पश्चात सेवा के विस्तार अथवा पुर्ननियुक्ति की स्थिति में किसी भी सरकारी सेवक पर लागू नहीं होती है।

(घ) उत्तराखण्ड राज्य के सरकारी सेवकों पर यह योजना राज्य के गठन की तिथि से यथावत लागू है।

(ड) राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना का रखरखाव कोषागार स्तर पर पुस्तांकित किया जाता है तथा महालेखाकार द्वारा प्रबंध किया जाता है। यह मानते हुए कि सरकारी सेवक की नियमित सेवा के दौरान अनिवार्य रूप से सामूहिक बीमा अंशदान की कटौती की गयी है, सरकारी सेवक की सेवानिवृति अथवा मृत्यु की स्थिति में बचत एवं बीमा निधी का भुगतान जैसी भी स्थिति हो, संबंधित आहरण वितरण अधिकारी द्वारा ऑनलाईन आगणन शीट तैयार कर संबंधित कोषागार के माध्यम से भुगतान किया जाता है।

वेतन पर्ची

निदेशालय कोषागार द्वारा वित्त सेवा, पुलिस सेवा, वन सेवा तथा न्यायिक सेवा के अधिकारियों की वेतन पर्ची निर्गत की जाती है। उक्त सेवा के अधिकारियों के स्थानान्तरण, पदोन्नति आदि की स्थिति में वेतन के विवरण का पत्र सम्बंधित अधिकारियों, आहरण वितरण अधिकारी, कोषागार को प्रेषित किया जाता

है।

उत्तर प्रदेश शासन के आदेश संख्या- 1565/दस-88-5(8)/76 दिनांक 22 फरवरी, 1989 में वेतन पर्ची का कार्य निदेशालय कोषागार द्वारा किए जाने का प्रावधान है। राज्य गठन के उपरान्त वर्ष 2015 तक वेतन पर्ची जारी किये जाने का कार्य निदेशालय विभागीय लेखा (पूर्व नाम लेखा एवं हकदारी) के द्वारा किया जाता था। वर्ष 2015 के बाद उक्त सेवा के अधिकारियों की वेतन पर्ची सम्बन्धी समस्त कार्य निदेशालय कोषागार द्वारा किया जाता है।

राज्य वित्तीय डेटा सेण्टर

राज्य में वित्तीय प्रकरणों के निस्तारण हेतु लागू की गई IFMS प्रणाली से संबंधित पोर्टल के रखरखाव, संचालन और स्टोरेज का कार्य राज्य वित्तीय डेटा सेण्टर द्वारा संपादित किया जाता है। डाटा सेंटर का दायित्व है कि उक्त पोर्टल का सुचारू रूप से संचालन करें तथा पोर्टल पर आ रही कठिनाइयों का त्वरित समाधान करें।